रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 23, 1981/फाल्गुन 4, 1902
No. 41] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 23, 1981/PHALGUNA 4, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1981

सं० I—12011(8) 80-बागान (क).—चाय विपणन संबंधी टण्डन समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ चाय के लघु उपजकर्ताओं/उत्पादकों के संबंध में विचार किया और अपनी सिफारिशें दीं। समिति ने सिफारिश की कि चाय बोर्ड तथा चाय उद्योग, लघु उपजकर्ताओं के प्रतिनिधियों सहित, द्वारा लघु उपजकर्ताओं का एक विशेष अध्ययन किया जाना चाहिए जिसे हर तीसरे अथवा पांचवे वर्ष अद्यतन किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में चाय संघों को पृथक सैल भी स्थापित करने चाहिएं जो चाय बोर्ड के लघु उपजकर्ता सैल तथा लघु उपजकर्ता संघ के साथ संपर्क रखेंगे। इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया है:

(क) लघु उपजकर्ताओं/उत्पादकों की समस्याओं का पता लगाने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए उनका विशेष अध्ययन करना ।

(ख) अधिक सहकारी कारखाने खोलने की जरूरत का अध्ययन करना।

(ग) ऐसे मार्गोपायों का अध्ययन करना जिनसे अपेक्षाकृत बड़े चाय बागान लघु उत्पादकों की मदद कर सकें।

(घ) यह अध्ययन करना कि कैसे चाय संबंधी सार्वजनिक क्षेत्रीय कम्पनियां लघु उत्पादकों की मदद कर सकती हैं।

(ङ) यह अध्ययन करना कि क्या लघु उपजकर्ताओं द्वारा उत्पादित चाय की नीलामियों में सूचीकरण के मामले में कुछ प्राथमिकता दी जा सकती है जिससे वे अपनी बिक्री वसूली कुछ जल्दी प्राप्त कर सकेंगे ।

(च) किसी अन्य पहलू पर विचार करना जिसमें समिति की राय इस अध्ययन के व्यापक प्रयोजन के उपयुक्त होगें।

2. समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:—

(क) अध्यक्ष — उपाध्यक्ष चाय बोर्ड, कलकत्ता ।

(ख) सदस्य —
(i) अध्यक्ष, बागान संघ परामर्शी समिति, कलकत्ता ।
(ii) प्रेजीडेन्ट, यूनाइटेड प्लान्टर्स एसोसियेशन आफ साउदर्न इंडिया, कुनूर ।
(iii) एक प्रतिनिधि, कांगड़ा वैली स्माल टी ग्रोअर्स एसोसियेशन, पोस्ट आफिस बैजनाथ, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश ।
(iv) एक प्रतिनिधि, नीलगिरी लघु चाय उपजकर्ता संघ, कुनूर ।
(v) एक प्रतिनिधि, उत्तरी बंगाल लघु चाय उपजकर्ता संघ, महानन्द पाड़ा सिलीगुड़ी जिला, दार्जिलिंग ।

(vi) श्री एन० डी० साह अम्बारी चाय एस्टेट, जलपाईगुड़ी ।

(ग) सदस्य सचिव निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड, कलकत्ता।

3. समिति का मुख्य कार्यालय कलकत्ता में होगा परन्तु समिति अपनी बैठक देश में किसी अन्य स्थान पर कर सकती है। समिति को अन्य सदस्य सहयोजित करने का अधिकार होगा।

4. समिति अपना प्रतिवेदन सरकार को यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगी और हर हालत में इसकी नियुक्ति की तारीख से 3 महीने से अधिक समय नहीं लेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया जाए।

डी० डब्ल्यू० तेलंग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 23rd February, 1981

No. I-12011(8)80-Plant(A).—The Tandon Committee on Tea Marketing inter-alia considered and gave its recommendations in regard to small growers/producers of tea. The Committee recommended that a special study of the small growers should be made by the Tea Board and tea industry, together with the representatives of small growers, which should be updated every three or five years. In this context, the Tea Associations in the north and south India should also develop separate cells which will liaise with the small grower's cell of the Tea Board and the Small Growers Association. With a view to implement this recommendation the Government of India have decided to constitute a Committee of Experts with the following terms of reference :

(a) To conduct a special study of small growers/producers to identify their problems and to suggest remedial measures.

(b) To study the need for opening up more cooperative factories.

(c) To study the ways and means by which the larger tea estates could help the small producers.

(d) To study as to how the public sector companies in tea could help the small producers.

(e) To study whether some priority may be given in the matter of cataloguing at auctions of teas produced by small growers which will enable them to realise their sale proceeds a little earlier.

(f) Any other aspect which in the committee's opinion is germane to the broad purpose of this study.

2. The Committee shall consist of the following members :—

(a) Chairman . . Deputy Chairman, Tea Board, Calcutta.

(b) Members . . (i) Chairman, Consultative Committee of Plantations Association, Calcutta.

(ii) President, United Planters' Association of Southern India, Coonoor.

(iii) A Representative of Kangra Valley Small Tea Grower's Association, Post Office Baijnath, Kangra Dt., Himachal Pradesh.

(iv) Representative of Nilgiri Small Tea Growers Association Coonoor.

(v) A representative of North Bengal Small Tea Growers Association, Mahanand Para Siliguri Dt., Darjeeling.

(vi) Shri N.D. Saha, Ambari Tea Estate, Jalpaiguri.

(c) Member-Secretary Director, Tea Development, Tea Board, Calcutta.

3. The Committee's Headquarters will be at Calcutta but the Committee may meet at any other place in the country. The Committee shall have power to co-opt other members.

4. The Committee shall submit its reports to the Government as early as possible and in any case not later than 3 months from the date of its appointment.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary.

D.W. TELANG, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981